बॉयोटेक पार्क के लिए 766.20 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण

परसोडी, जामठा, गवसी, सोंडापुर व कोटेवाड़ा गांव की जमीनें जायेंगी मिहान में

भास्कर संवाददाता | नागपुर

शिवणगांव का आंदोलन अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि राज्य सरकार ने मिहान प्रकल्प के लिए 766.20 हेक्टेयर नवीन भू क्षेत्र के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के अनुसार मिहान प्रकल्प में शामिल करके इस जमीन पर बॉयोटेक पार्क विकसित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मिहान के बॉयोटेक पार्क के लिए नागपुर (ग्रामीण) तहसील के परसोडी, जामठा, गवसी ग्राम पंचायतों की कुल 522.51 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा, जबकि हिंगणा तहसील के सोंडापुर और कोटेवाड़ा गांव की कुल 243.69 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस संबंध में एक अप्रैल 2010 को शासकीय अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मिहान के बॉयोटेक पार्क के लिए अधिसूचित की जाने वाली जमीन में परसोडी, जामठा व गवसी ग्राम पंचायत की 522.51 हेक्टेयर जमीन का समावेश है।

सोमवार को राज्य शासन द्वारा की गई इस घोषणा के बाद मिहान प्रकल्पग्रस्त गांवों में फिर से आक्रोश बढ़ने की संभावना है। परसोडी, जामठा और गवसी सरपंचों ने पहले ही बाबा डवरे के नेतृत्व में आंदोलन का ऐलान कर रखा है। एक महीने पूर्व उक्त गांव के हजारों लोगों ने सम्मिलित सभा करके अपनी जमीन मिहान प्रकल्प के लिए नहीं देने का निर्णय लिया था। उधर सामाजिक कार्यकर्ता बाबा डवरे ने सरकार के इस निर्णय का तीव्र विरोध करते हुए कहा है कि सरकार मिहान के बॉयोटेक पार्क के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है वह पूरी तरह से सिंचित जमीन है, जो केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित जमीन अधिग्रहण नीति का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अब शिवणगांव के किसान, परसोडी, जामठा, गवसी कोटेवाडा व सोंडापुर के गांववालों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।

© 2010 vatsalyarealities.com

Powered by www.perfectlogix.com